

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 29-09-2023

::आज्ञा::


विधि रचना सेवा एवं विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित अधिकारियों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | नाम<br>(सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)             | विभाग का नाम  | परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है  |
|----------|---|---|---|
| 1.       | मोनिका शर्मा<br>वरिष्ठ विधि रचाकार                | विधि (संहिताकरण)<br>विभाग, शासन सचिवालय,<br>जयपुर                                 | राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023   |
| 2.       | विजयंत प्रताप सिंह<br>कनिष्ठ विधि अधिकारी         | जयपुर विकास प्राधिकरण,<br>जयपुर   | 1. Assistant Law Officer (DSSSB)<br>2. Civil Judge (Junior Division) 2023   |
| 3.       | निशान्त राठौड़<br>कनिष्ठ विधि अधिकारी             | कार्यालय जिला कलक्टर,<br>बारां  | सहायक आचार्य (विधि) परीक्षा   |
| 4.       | श्री जितेन्द्र कुमार बैरड़<br>कनिष्ठ विधि अधिकारी | कार्यालय मुख्य अभियन्ता,<br>परियोजना जन स्वास्थ्य<br>अभियांत्रिक विभाग,<br>जोधपुर | 1. सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा-2023<br>2. राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 |

शर्तें:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त अधिकारी वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

आज्ञा से,

  
(आशुतोष कुमावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव